संख्या– 84 / XVII–2 / 19–01(04) 2019

प्रेषक,

डा॰ रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

2– निदेशक,
जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2019

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 से विभागीय दशमोत्तर छात्रवृत्ति के वितरण एवं सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–787 / XVII–4 / 2017–01(82) / 2014 दिनांक 01.01.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 का बिन्दु संख्या (11) में छात्रवृत्तियों के वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु और फर्जी रूप से छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण की रोकथाम हेतु व्यवस्थायें दी गयी है। समुचित विचारोपरान्त इन व्यवस्थाओं को निम्नवत् संशोधित करते हुये प्रस्तर–2(11)(3) के नीचे निम्नलिखित बिन्दु जोड़े जाने का निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया गयाः–

4. केवल निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् दशमोत्तर कक्षाओं के छात्र–छात्राओं का भौतिक सत्यापन, उपस्थिति पंजिका एवं जाति / आय प्रमाण–पत्रों का सत्यापन सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाय। सहायक समाज कल्याण अधिकारी अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
5. उपरोक्त छात्र–छात्राओं का भौतिक सत्यापन, उपस्थिति पंजिका एवं जाति / आय प्रमाण–पत्र का सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला / तहसील स्तरीय अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा। यह अधिकारी भी अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
6. उपरोक्त दोनों भौतिक / सत्यापन रिपोर्टों पर विचारोपरान्त जिलाधिकारी अपनी संस्तुष्टि होने पर छात्रवृत्ति भुगतान की संस्तुति करते हुये जिला समाज कल्याण अधिकारी को छात्रवृत्ति भुगतान के निर्देश देंगे।
7. जिलाधिकारी रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर विशेष रूप से निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत् छात्र / छात्राओं के न्यूनतम 10 प्रतिशत आय / जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी के माध्यम से करायेंगे।

उपरोक्तानुसार शासनादेश संख्या–787 / XVII–4 / 2017–01(82) / 2014 दिनांक 01.01.2018 के प्रस्तर–2 का बिन्दु संख्या (11) तद्नुसार संशोधित समझा जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय,

29/1/2019

(डा॰ रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

2763
30/01/19

पृष्ठांकन संख्या:- / XVII–2 / 19–01(04) 2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल / कुमायूं मण्डल।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निजी सचिव, सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)
12. समस्त मुख्य शिक्षाधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)
13. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)
14. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (डी0आई0ओ0एन0आई0सी0) उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक)
15. नोडल अधिकारी, समाज कल्याण, आई0टी0सैल, देहरादून।
16. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(डा॰ राम बिलास यादव)
अपर सचिव।